

संपादकीय



उच्चतम न्यायालय का आदेश प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना खत्म करने का आधार बना। हालांकि उन्होंने न्यायालय के आदेश को अपनी नैतिक जीत, पश्चिम बंगाल की जीत बता दिया। आखिर इस आदेश में ऐसा क्या है जिसे उनकी जीत माना जाए? न्यायालय ने अभी सीबीआई कर्मियों के साथ पश्चिम बंगाल पुलिस के दुर्व्यवहार पर विचार नहीं किया है। न्यायालय के सम्में ममता का विरोध और धरना भी विचार का विषय नहीं था। उसके सामने पहली विषय सीबीआई को कोलकाता के पुलिस अधिकारी गजीव कुमार से पृछालाल की अनुमति देने का था। यह न्यायालय ने दे दिया। उसके पश्चिम बंगाल की दूसरी देश पेश हुए अधिकारी अधिकारी सम्में पेश होने से ही पूछ दिया कि आखिर उनको सीबीआई के सम्में पेश होने से ममता बनर्जी को धरना आदेश से क्या भी पूछ कि पश्चिम बंगाल को जाच के हाथों आदेश से क्या दिक्कत है? सीबीआई ने गजीव कुमार की गिरफ्तारी की अनुमति की अपील की ही नहीं थी। इसलिए यह कहा कहा कोई माने नहीं रखता कि गिरफ्तारी की अनुमति नहीं मिलना सीबीआई के लिए धक्का है।

